

## फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर  
(राष्ट्रीय लोक अदालत)

वादी : कालूलाल जैन

प्रतिवादी: मैसर्स मौया रियल ऐसासियेट इण्डिया

सम मुकदमा : वाद

पत्रावली संख्या : 43 / 2021 सन 2021

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 09.03.2024</p> <p>वादी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर वाद प्रत्याहारित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकरान् के मध्य राजीनामा होने से इसी स्टेज पर प्रत्याहारित करने का निवेदन किया गया है।</p> <p>अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रत्याहारित करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। यह आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच में सुनाया जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।</p>	

(श्री राजेन्द्र जैन )

सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत

जाय

(श्री मनीष अग्रवाल)

न्यायाधीश फ़ैमिली कोर्ट-1 उदयपुर

अध्यक्ष

राष्ट्रीय लोक अदालत

